



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112022-240584
CG-DL-E-25112022-240584

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 756]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2022/अग्रहायण 4, 1944

No. 756]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2022/AGRAHAYANA 4, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 847(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ख' एवं 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 को, जहाँ तक कि उनका संबंध सहायक उप-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी), हैड कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) और कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में सहायक उप-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी), हैड कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) और कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएँ, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में स्वास्थ्य देखभाल पद्धति में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग श्रेण-1 में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति और प्रोन्नति, जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा नियुक्ति भी है, के लिए पात्र होंगे।

7. अधिवर्षिता.— (1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे।

परन्तु कोई अधिकारी जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

8. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों संख्या।	पद का वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक उप-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी)।	4235*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/-रु.)	अचयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।	
(11)	
<p>प्रोन्नति द्वारा:</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/-रु) में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हैड कांस्टेबल (साधारण झूटी) में से, जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है।</p> <p>टिप्पण .— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है सधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रोन्नति के लिए उपरोक्त यथाविहित अर्हताएं हैं और जो चिकित्सीय प्रवर्ग शेष-1 में आते हैं, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप-महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; 3. उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य। 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. हैड कांस्टेबल (साधारण झूटी)।	12318*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/-रु.)	चयन पद।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(11)				
<p>प्रोन्नति द्वारा:</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 (21700-69100/-रु) में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) में से, जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है।</p> <p>टिप्पण — जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है सधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>				
(12)			(13)	
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <ol style="list-style-type: none"> कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष; सेकेंड-इन-कमांड या उप कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; सहायक कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य। 			लागू नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी)।	39359*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100/-रु.)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)
18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए और कार्मिकों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है।)	आवश्यक अर्हताएं : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिककुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य। (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर कांस्टेबल के पद के लिए विहित स्कीम के अनुसार शारीरिक और चिकित्सा मापदंड।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) सीधी भर्ती द्वारा- 95% ; (ii) अनुचर समूह 'ग' (योधक) की पुनः भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा - 5% ।
(11)		
कांस्टेबल अनुचर समूह 'ग' (योधक) की पुनः भर्ती द्वारा : भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल अनुचर (योधक) समूह 'ग' के पाँच प्रतिशत पद के लिए स्थानांतरण द्वारा जिन्होंने उक्त बल में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हैं:- (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिककुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य; (ख) सीधी भर्ती के लिए अनुमोदित स्कीम में यथाविहित शारीरिक मापदंडों को पूरा करना होगा। (ग) 35 वर्ष की आयु तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए पांच वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है सधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. दो उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; 3. एक चिकित्सा अधिकारी, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. I-12022/10/2021-संगठन]

पी. एस. डंगवाल, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th November, 2022

G.S.R. 847(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre, (Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 2012, in so far as it relate to the posts of Assistant Sub-Inspector(General Duty), Head Constable(General Duty) and Constable(General Duty) except things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Sub-Inspector(General Duty), Head Constable(General Duty) and Constable(General Duty), in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :—

1. Short title and commencement.— (a) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2022.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical Fitness.— Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for appointment and promotion including appointment by deputation or re-employment under the provisions of these rules.

7. Superannuation. — (1) Every person appointed under these rules shall retire from service in the afternoon of the last day of month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time-to-time :

Provided that an officer whose date of birth is on the first day of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

8. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

9. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification of the post.	Level in the pay matrix.	Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Assistant Sub-Inspector (General Duty).	4235*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 (Rs. 29200 – 92300).	Non-selection post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation/ absorption is to be made.

(11)

By promotion :

From amongst Head Constable (General Duty) of the Indo-Tibetan Border Police Force with five years' regular service in level – 4(Rs. 25500-81100) in the pay matrix and having successfully completed prescribed pre-promotional training course.

Note.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation : Officers of the Central Government, State Government or Union territories holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department.

Note 1.— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 3.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

Deputation/re-employment for Ex-servicemen:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and being in Medical Category SHAPE- I as prescribed above for promotion shall also be considered, such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Deputy Inspector-General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (3) Deputy Commandant or Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Head Constable (General Duty).	12318*(2022) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 (Rs. 25500 – 81100).	Selection post.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

(11)
<p>By Promotion :</p> <p>From amongst Constable (General Duty) of Indo-Tibetan Border Police Force in level-3(Rs. 21700- 69100) in the pay matrix with five years' regular service in the level and having successfully completed prescribed. pre-promotional course training.</p> <p>Note.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>By deputation : Officers of the Central Government, State Government or Union territories holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department.</p> <p>Note 1.— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 3.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p>

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Second-in-Command or Deputy Commandant, Indo-Tibetan Border Police - Member; (3) Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Constable (General Duty).	39359* (2022) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 3 (Rs. 21700 – 69100).	Not applicable.

(6)		
18 to 25 years (Relaxable in case the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes candidates and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by Central Government from time-to-time).		
(7)	(8)	(9)
Essential Qualifications: (i) Matriculation pass or equivalent from a recognised board. (ii) Physical and Medical Standards as per the scheme prescribed by the Central Government for the post of Constables from time-to-time.	Not applicable.	Two years for direct recruits.

(10)
(i) by direct recruitment – 95 per cent; (ii) by re-musteration of Followers Group 'C' (Combatised) failing which by deputation, failing both by direct recruitment - 5 per cent.

(11)
<p>By re-musteration of Constable Followers Group 'C' (Combatised) :</p> <p>By transfer against five per cent of the posts from amongst Constable Followers (Combatised), Group 'C' of Indo-Tibetan Border Police Force, who have put three years regular service in the Force and subject to fulfilling the following qualifications, namely :-</p> <p>(a) Matriculation pass or equivalent from a recognised board;</p> <p>(b) must possess physical standards as prescribed in the approved scheme for direct recruitment.</p> <p>(c) Up to 35 years of age (Relaxable up to five years in the case of the Schedule Caste or the Schedule Tribe candidates and three years for Other Backward Classes and other special categories of person in accordance with the orders issued by Central Government from time-to-time).</p> <p>By deputation : Officers of the Central Government, State Government or Union territories holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>Note 1.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Two Deputy Commandant or Assistant Commandant, - Member;</p> <p>Indo-Tibetan Border Police Force</p> <p>(3) One Medical Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p>	Not applicable.

[F. No. I. 12022/10/2021-Org.]

P. S. DANGWAL, Dy. Secy.